फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री रोहित चौहान
निवासी वार्ड नं. 02 तरतोली
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 38 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 21.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत तरतोली, नगर पालिका आबूरोड एवं यूआईटी आबूरोड के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने वाले अभिलेख/अधिसूचना/आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उपरोक्त प्राधिकरण की प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाने वाला क्षेत्राधिकार नक्शा, जिसमें विशेष रूप से ग्राम तरतोली के खसरा संख्या 29 शामिल हो तथा ग्राम तरतोली के खसरा संख्या 29 के क्षेत्र के लिए सडक रखरखाव, जल निकाली/नाली, रोड लाईट एवं बुनियादी नागरिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण से सम्बन्धित आदेश की प्रति तथा नवीनतम प्रशासनिक सूचि/वार्ड सूचि/राजस्व सीमा की सूचि की प्रमाणित प्रति, जिसमें खसरा संख्या 29 शामिल हो तथा उस कार्यालय आदेश/अधिसूचना की प्रमाणित प्रति प्रदान करें जिसमें खसरा संख्या 29 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए नागरिक मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कार्यालय का उल्लेख हो। उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 21.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत तरतोली, नगर पालिका आबूरोड एवं यूआईटी आबूरोड के क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने वाले अभिलेख/अधिसूचना/आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उपरोक्त प्राधिकरण की प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाने वाला क्षेत्राधिकार नक्शा, जिसमें विशेष रूप से ग्राम तरतोली के खसरा संख्या 29 शामिल हो तथा ग्राम तरतोली के खसरा संख्या 29 के क्षेत्र के लिए सडक रखरखाव, जल निकाली/नाली, रोड लाईट एवं बुनियादी नागरिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण से सम्बन्धित आदेश की प्रति तथा नवीनतम प्रशासनिक सूचि/वार्ड सूचि/राजस्व सीमा की सूचि की प्रमाणित प्रति, जिसमें खसरा संख्या 29 शामिल हो तथा उस कार्यालय आदेश/अधिसूचना की प्रमाणित प्रति प्रदान करें, जिसमें खसरा संख्या 29 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए नागरिक मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कार्यालय का उल्लेख हो। उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	